शोध मंथन Vol. XVI No.2 Apr.- June. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.32

भारतीय राजनीति में रेवड़ी संस्कृति का औचित्य

प्राप्तिः 20.04.2025
स्वीकृतः 22.05.2025

डॉ. पूजा नायक
एसोसिएट प्रोफेसर
(राजनीतिक विज्ञान विभाग)
नेशनल पी.जी. कॉलेज, बड़हलगंज
ईमेलः pujanaik.5@gmail.com

32

सारांश

लोक लुभावन घोषणायें आज की राजनीति के पयार्य बन गये हैं जो तात्कालिक लाभ देने के बावजूद, दीर्घकालिक रूप से देश की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा बाधक सिद्ध हो रहा है। रेवड़ी संस्कृति ने लोकतंत्र की छवि को ही विकृत नही किया है अपितु आय से ज्यादा खर्च ने देश के अर्थतंत्र को भी नुकसान पहुँचाया है। जहाँ भारत धनी देशों की श्रेणी में 10वें स्थान पर है तो वही कर्जदार देशो की सूची मे 8वें स्थान पर है। इस समय हमारे देश पर लगभग 3000 अरब डालर का कर्ज है। श्रीलंका इसका ज्वलंत उदाहरण है। उसके आर्थिक पतन का कारण वहाँ के राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को दिये गये मुफ्त उपहार है। जिसका परिणाम श्रीलंका झेल रहा है। हमारे देश में मुफ्त की घोषणाओं का आर्थिक प्रभाव मध्यप्रदेश, तेंलगाना, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे लगभग छोटे–बडें राज्यों में देखा जा सकता है।

मुख्य बिंदु

रेवड़ी, मुफ्तखोरी, जनकल्याण, गारंटी, लोकलुभावन, असंतुलन, आधार भूत ढांचा, अर्थव्यवस्था फॉर्मूला, संस्कृति, फ्रीबीज कल्चर आदि।

रेवड़ी संस्कृति, जिसे मुफ्तखोरी की राजनीति भी कहा जाता है इसे अंग्रेजी में फ्रीबीज कल्चर भी कहते है। इसे मानव एवं सामाजिक कल्याण के दषष्टिकोण से अच्छा भी माना जाता है। संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त में लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें कई कार्यक्रम संचालित कर रही है जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात् पीडीएस। इसके माध्यम से वंचितो को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में संचालित कार्यक्रम अंतिम पायदान पर खड़ें व्यक्तियो को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करते है इसी प्रकार रोजगार गारंटी योजना लोंगो को काम का अधिकार देती है। जिससे देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जहाँ सीमित संसाधनो के अनुकूलतम दोहन द्वारा समाज की उत्पादकता को बढ़ाना है, वहीं आय असंतुलन को कम करके सामाजिक विस्फोट की संभावनाओं को नगण्य करना भी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें। इसी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सीवरेज, बिजली और परिवहन जैसी आवश्यक सेवायें हैं जिन्हें लोकप्रिय सरकारे अपने संसाधानो के अनुसार जनता मुहैया कराती है। इनमें से कितनी सेवाये मुफ्त होनी चाहिये या सब्सिडी द्वारा, ये सरकार के राजस्व पर निर्भर करता है। देश की आजादी के पश्चात् स्वास्थ्य और शिक्षा को कभी रेवड़ी नही समझा गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवायें, भोजन या धन मुहैया कराने से हजारों लोग की जान बच सकती है किन्तु नियमित रूप से लागू करना मुफ्त उपहार या रेवड़ी संस्कृति कहा जायेगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमणा के अनुसार सभी राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे है अतः वे संसद में सार्थक बहस नही कर सकते है। अपितु कई राजनीतिक दल विभिन्न तर्को के माध्यम से रेवड़ी संस्कृति को न सिर्फ बचाव कर रहे है, बल्कि उसे आवश्यक मान रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि यदि चुनाव आयोग को पर्याप्त अधिकार मिले तो वह राजनीतिक दलो की मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली मनमानी घोषणाओ पर अंकुश लगा सकता है।

भारत में रेवड़ी संस्कृति का इतिहास बहुत पुराना है। रेवड़ी अर्थात् उपहार देने की परम्परा हमारे देश में सदियों से व्याप्त है। हड़प्पा संस्कृति, महाभारत काल व मौर्य साम्राज्य में उसके अवशेष देखे जा सकते है। प्राचीन काल से, भारत में तिल और गुड़ का दान श्रेष्ठ माना जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.टी.आचार्य के अनुसार, "अपनी योग्यता के साथ यह परम्परा हमेशा रहने वाली है। प्रियजनों और जरूरतमंदो को रेवड़ी बांटना, एक पुरानी परम्परा है और सभी के लिए अच्छा लाभकारी दृष्टिकोण है।" मकर संक्राति, लोहड़ी, पोंगल जैसे पर्वो पर अपने प्रियजनो और जरूरतमंदो को दिया जाने वाला उपहार तिल गुड़ के लड्डू (रेवड़ी) अन्न, वस्त्र आदि के रूप में देख सकते है।

देश में एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। उसे कई तरह की राहत और रियायत देने की आवश्यकता है। गरीबी रेखा से निकालने के लिए किसी न किसी रूप में सब्सिडी देनी होगी, किंतु इसके लिये आरक्षण की तरह एक मापदण्ड तय किया जाना चाहिये। इसी प्रकार जनकल्याणकारी योजनाओं व लोकलुभावन योजनाओ में अन्तर किया जाना आवश्यक है। साथ ही बजट का कितना प्रतिशत आधारभूत ढ़ाँचे में खर्च किया जाना चाहिये तथा कितना जनकल्याणकारी योजनाओं में, इसका फॉर्मूला अर्थव्यवस्था के लिए तय किया जाना आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलो को गरीबों की दी जा रही वित्तीय सहायता का लेखा–जोखा का विवरण के लिये नियम बनाना चाहिये। साथ ही मुफ्त रेवड़ी से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है या नही इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार भारत में देश दुनिया के कुपोषित लोगों का एक चौथाई हिस्सा निवास करता है। अपने नागरिको को भोजन, शिक्षा और रोजगार प्रदान करना एक लोकतांत्रिक राज्य की सबसे मौलिक जिम्मेदारी है। वर्ष 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक (जी.एच.आर) के अनुसार भारत 127 देशो में 105वें स्थान पर है तथा भारत का स्कोर 27.3 है। भारत में असमानता पर ऑक्सॅफैम की 2022 की वार्षिक रिर्पोट के अनुसार, भारत में सबसे अमीर 1 प्रतिशत लोगो के पास कुल संपत्ति का 51.5 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि सबसे निचले 60 प्रतिशत लोगो के पास मात्र 5

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i02.32

प्रतिशत संपत्ति है। पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई.कुरैशी का मानना है कि भारत में गरीबी और असमानता को देखते हुये, यह महत्वपूर्ण है कि हम कल्याणकारी कार्यक्रमों के मूल्य और आवश्कता को पुनः स्वीकार करें तथा उन्हें विस्तारित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दें। सस्ते खाद्यान्न और मुफ्त में उपयोगी वस्तुयें जैसे मुफ्त बिजली और पानी, सस्ता खाद्यान्न और ईंधन, साईकिल, फोन, लैपटॉप और ढ़ेर सारे पैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मद में हमारे निम्न तबके समाज के लिए उपयोगी रहे है। उहाहरण के लिये 1–2 किलो चावल या कोविडकाल से 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो अनाज मुफ्त होने के बाद से भूख से मौतों पर विराम लगा है। साइकिलो के वितरण से उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे राज्यों में विद्यालयों में लड़कियो के नामांकन और ठहराव में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण व स्थानीय प्रशासन को मिलने वाले बजट में कमी से असमानतायें और बढ़ गई है।

रेवड़ी संस्कृति के दूसरे पहलू को देखते हैं तो एक भयावह रूप सामने आता है। भारत में रेवड़ी संस्कृति लोकतंत्र के साथ अर्थव्यवस्था के लिये भी घातक सिद्ध हो रहा है। चुनाव दर चुनाव इसका स्वरूप और विकृत होता जा रहा है। यूरोप के कुछ विकसित देश इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण आज आर्थिक संकट से गुजर रहे है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान का इसी रेवड़ी संस्कृति के कारण मंदी के शिकार हो गये। अपने ही देश में विभिन्न राज्य सरकारे इस रेवड़ी संस्कृति के कारण लगभग दीवालिया होने के कगार पर है। उनका बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। मुफ्त सुविधाओं के मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो "रेवड़ी की राजनीति नही चल सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'मुफ्त के कल्चर' से बचने की सलाह दी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बाँटकर वोट बटोरने का कल्चर देश के विकास में घातक है। अतः इसे देश की राजनीति से हटाना आवश्यक है। भारत में जनकल्याण की आड़ में की जाने वाली मुफ्तखोरी की राजनीति ने आम जनता को पंगू बना दिया है। वे कभी भी आत्मनिर्भर नही बनेंगें और देश को बनने भी नहीं देंगे।

मुफ्तखोरी की राजनीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। रेवड़ी की राजनीति ने देश के अर्थतंत्र को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना हो या महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना या झारखंड़ की मँइयां सम्मान योजना भले ही सत्ता का मार्ग प्रशस्त करती हो, किंतु लोकलुभावन खर्च के कारण पूंजीगत व्यय के लिए धन कम होता जा रहा है। आज सरकारो के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, संचार आदि विकास परियोजनाओं के लिये बजट नही है। राज्य सरकारो का कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिससे राजस्व और राजकोषीय घाटा चालू वितृत्त वर्ष में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में जीएसडीपी का 2.6 प्रतिशत यानी दो लाख करोड़ रूपये का अनुमान है। जबकि मध्यप्रदेश का कुल कर्ज 4 लाख 18 हजार करोड़ रूपये पर पहुँच गया है। झारखंड जैसे छोटे राज्य में राजकोषीय घाटा राज्य की जीएसडीपी के 2.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि खनन से होने वाली आय के कारण झारखंड को वर्ष 2016–2017 से राजस्व अधिशेष का दर्जा मिला है। मतदाताओं को मुफ्त में सुविधायें या उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर असर पड़ता है। किसी वर्ग विशेष को मुफ्त की योजनाएं देकर जनता के विशेष वर्ग पर टैक्स का भार डाला जा रहा है।

रेवड़ी संस्कृति एक प्रकार से रिश्वत है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर असर डालती है। सभी राजनीतिक दल अपने पक्ष में मतदान करने के लिये सरकारी कोष का दुरूपयोग कर रहे है। भारत में जनकल्याण की आड़ में की जाने वाली मुफ्तखोरी की राजनीति ने आम जनता को पंगू बना दिया है वे कभी भी आत्मनिर्भर नही बनेंगे और न देश को बनने देंगें। रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं पर निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषणा पत्र में किये गये वादों पर आदर्श आचार संहिता लागू नही होती है। अतः चुनाव आयोग घोषणा पत्रों पर सवाल उठा नही सकता है क्योंकि वे पूरी तरह से कानूनी है। इसे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण नही माना जा सकता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करके घोषणापत्र की विषय–वस्तु के संबंध में दिशा–निर्देश तैयार करने का आदेश दिया है।

हमारे देश से रेवड़ी संस्कृति को बदलने के लिये बुनियादी ढ़ाँचे में परिवर्तन करना होगा। इसके लिये सरकार को सभी नागरिको को निश्चित आय के अवसर प्रदान करने होंगे। सामान्य जन की बुनियादी आवश्यकतायें पूरी करनी होंगी ताकि जनता किसी आर्थिक प्रलोभन में न आये। सभी सरकारों को पूंजीगत व्यय कर आर्थिक वृद्धि को गति देने चाहिये। अंततः राजनीतिक दलो को मुफ्त योजनाओं से गरीबो की स्थिति में सुधार हुआ है या नही तथा उनके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन हुआ है या नही इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना सरकारो की प्राथमिकता होनी चाहिये, ताकि देश का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके। आत्मनिर्भर नागरिक ही देश को एक समृद्व और सशक्त भविष्य की ओर ले जायेंगे।

संदर्भः

1. संजयः दैनिक जागरण, 3 नवम्बर 2024
2. https://www.prabhasaksh.com. 12 Aug 2022
3. https:www.Jagran.com
4. डॉ0 जगदीप सिंहः दैनिक जागरण, 9 दिसम्बर 2024
5. hindi: theprint in 18 June 2023
6. https://indianexpress.com 7 Sep 2022
7. शर्मा ब्रजकिशोर– भारत का संविधान : एक परिचय, पी एच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, 2014।
8. वी.एन. खन्ना : आधुनिक सरकारें, एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, 2014–15।